Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में ग्राम विकास अधिकारी 15 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *15 फरवरी, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज झालावाड़ में कार्यवाही करते हुये अजीज मोहम्मद, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मगीसपुर, पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ को परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है व जगदीश पाटीदार, सहायक सैकेट्री (संविदा कर्मी) ग्राम पंचायत मगीसपुर, पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ के फरार होने पर तलाश जारी है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके गांव में निर्मित मकान का पट्टा बनाने की एवज में अजीज मोहम्मद, ग्राम विकास अधिकारी व जगदीश पाटीदार, सहायक सैकेट्री (संविदा कर्मी) द्वारा 20 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी की झालावाड़ इकाई के अति. पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये **अजीज मोहम्मद** पुत्र श्री मंगू खां निवासी 1 बी 16 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सुनेल जिला झालावाड़ हाल **ग्राम विकास अधिकारी,** ग्राम पंचायत मगीसपुर, पंचायत समिति सुनेल, जिला झालावाड़ को परिवादी से **15 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है एवं **जगदीश पाटीदार** पुत्र श्री रामनारायण निवासी कुण्डला प्रताप तहसील व पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ **हाल सहायक सैकेट्री (संविदा कर्मी)** ग्राम पंचायत मगीसपुर, पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड के फरार होने पर तलाश जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।